प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

सतत पैरवी कर चोरी के अभियोग में अभियुक्त को 2 वर्ष कारावास की सजा

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी.डि.) FTC सीतापुर द्वारा विचारण पूर्ण कर चोरी के आरोपी को सजा सुनायी गयी है। पुलिस द्वारा थाना मिश्रिख से मु0अ0सं0 409/18 धारा 379/411 भा.द.वि. थाना मिश्रिख बनाम पप्पू रैदास पुत्र हरद्वारी निवासी स्वामी सरांय कस्बा व थाना मिश्रिख सीतापुर में न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी.डि.) FTC सीतापुर द्वारा विचारण पूर्ण करते हुए अभियुक्त पप्पू रैदास उपरोक्त को 02 वर्ष कारावास की सजा एवं 5,00/-रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।